:: कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर म0प्र0 ::

(दूरभाष क. 07325–241000 एवं फैक्स क. 07325–242043)

–: निविदा सूचना :–

क्रमांक:क/नाजिर/2020/870 बुरहानपुर, दिनांक :– 01/02/2020

जिला कार्यालय (अनुविभागीय अधिकरी–राजस्व सहित), तहसीलदार बुरहानपुर, तहसील नेपानगर एवं तहसीलदार खकनार हेतु मासिक दर पर **एक वर्ष के लिये** वाहन किराये पर लिया जाना है। इस हेतु **ई–टेण्डर पोर्टल** पर निर्धारित प्रपत्र में निविदायें, यह विविदा सूचना जारी होने की दिनांक से दिनांक 18 फरवरी, 2020 तक दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

प्राप्त निविदाओं को दिनांक 19 फरवरी, 2020 तक दोपहर 3.00 बजे कलेक्टर कार्यालय में निविदाकारों एवं प्राधिकृत समिति के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा प्रारूप जिले की वेबसाईट www.burhanpur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका मूल्य रू. 500/– अक्षरी पांच सौ मात्र है। निविदा के मूल्य् की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यनम से मद संख्या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 800–अन्य प्राप्तियां में जमा कर, चालान मूल प्रति निविदा के संलग्न् प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रत्येक निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र "अ" एवं "ब" दो भागों में नियत तिथि तक अपनी निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

निविदा में सभी शर्तो को पूर्ण किये जाने पर ही निविदाकार प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र होगें। जिस निविदाकार के प्रपत्र–अ तकनिकी पक्ष में कमियां पाई जावेगी उन्हें प्रपत्र–ब के वित्तीय भाग में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

निविदाकार को धरोहर राशि के रूप में रूपये 10000/– जमा कराई जाना अनिवार्य होगी। निविदा बिना कारण बतायें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर जिला बुरहानपुर का होगा। कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।

जिला कार्यालय (अनुविभागीय अधिकरी–राजस्व सहित), तहसीलदार बुरहानपुर, तहसील नेपानगर एवं तहसीलदार खकनार हेतु अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा। वित्तीय अथवा प्रशासकीय कारणों से अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध को कभी भी स्थगित अथवा निरस्त किया जाकर धरोहर राशि को राजसात किया जावेगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि आगे बढाने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर बुरहानपुर का होगा।

निविदाकार को निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य एवं बंधनकारक होगा। जिस निविदाकार की वाहन की कंडीशन निविदा शर्तानुसार एवं प्रस्तावित दर सबसे न्यूनतम होगी उसी निवदाकार की निविदा का चयन किया जावेगा तथा अन्य निविदाकारों को जमा धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी ।

–2–

वाहन किराया दरों का पुनरीक्षण

–: कार्यालय का नाम जिस हेतु वाहन किराये पर लिया जाना है :–

कमांक	कार्यालय का नाम जिस हेतु वाहन किराये पर लिया जाना है।	वाहन का प्रकार जिसे किराये पर लिया जाना है।	वाहन संख्या
01	02	03	4
01	कार्यालय कलेक्टर जिला बुरहानपुर (02 अनु.अधि.राजस्व सहित)	बोलेरो / स्कार्पियो / अर्टिगा / टाटा सफारी	05
02	तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा कलेक्टर जिला बुरहानपुर	बोलेरो / स्कार्पियो / अर्टिगा	01
03	तहसीलदार नेपानगर द्वारा कलेक्टर जिला बुरहानपुर	बोलेरो / स्कार्पियो / अर्टिगा	01
04	तहसीलदार खकनार द्वारा कलेक्टर जिला बुरहानपुर	बोलेरो / स्कार्पियो / अर्टिगा	01
योग :–	–	–	08

उक्त वाहनों की संख्या घटाई अथवा बढाई भी जा सकती है । यह संक्षिप्त निविदा सूचना है, निविदा की निम्नानुसार समस्त शर्ते बंधनकारक होगी।

किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के लिये निर्धारित शर्ते

01– किराये पर लिये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 का होना चाहिये।

02– उक्त वाहन 24 घण्टे विभाग के आधिपत्य मे रहेगा ।

03– वाहन का टैक्सी परमिट के रूप मे पंजीयन होना आवश्यक है ।

04– मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

05– वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा वाहन का संचालन ग्रामीण एवं शहरी रास्तों पर किया जावेगा ।

06– वाहन, वाहन चालक सहित प्रतिमाह के हिसाब से मासिक किराये पर लिया जावेगा।

07– वाहन चालक को वेतन / भत्ता इत्यादि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।

08– वाहन में उपयोगित पी0ओ0एल0 के देयको का भुगतान अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय हेतु शासन से आबंटित बजट से किया जावेगा।

09– वाहन, विभाग द्वारा अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक के लिये किराये पर लिया जाना है परन्तु कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में यह समयावधि अतिरिक्त 02 (दो) वर्षो तक बढ़ाई जा सकेगी, इसके लिये कलेक्टर बुरहानपुर का निर्णय सर्वमान्य होगा।

10– वाहन का इंश्योरेंस, रोड़ टैक्स, फिटनेस अद्यतन (अप–टू–डेट) होना चाहिये ।

11– सभी प्रकार के टेक्स, मोटरयान कर, इंश्योरेंन्स चार्जेस आदि तथा समय–समय पर शासन अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा रोपित किये जाने पर वाहन मालिक को ही वहन करना होगा । यह वाहन मालिक की जवाबदारी होगी ।

12– प्रत्येक निविदाकार को दो भागो में निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना होंगे । निविदा प्रपत्र के एक भाग में निविदा का तकनीकी पक्ष सम्मिलित होगा, जिसमें नियम एवं शर्तो को पूरा करने की जानकारी, आवश्यक प्रमाण तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होगे। जबकि प्रपत्र का दूसरा भाग प्रतिस्पर्धात्मक दरों से संबंधित होगा।

13– तकनीकी निविदा से सभी शर्तो को पूरा करने पर ही प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में ही निविदाकार के वित्तीय प्रपत्र को निविदा समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जायेगा। जिस निविदाकार के तकनीकी पक्ष में कमियां अथवा विसंगतियां होगी, उनके निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग को प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

14— निविदाकार चाहे तो जिला/तहसीलों हेतु निविदाए एक साथ प्रस्तुत कर सकता है अथवा जिला कार्यालय/तहसील हेतु पृथक—पृथक भी निविदा प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्राप्त निविदाओं में से जिस निविदाकार की दरें सबसे न्यूनतम होगी उसका चयन किया जावेगा तथा चयनित न्यूनतम दर जिला/समस्त तहसीलों हेतु एक समान मान्य होगी।

15— यदि वाहन विभाग को किसी अवधि मे किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होता है अथवा वाहन मे खराबी या मरम्मत कार्य के परिणाम स्वरूप वाहन उपयोग में लिये जाने योग्य नहीं होता है तो उक्त अवधि तथा सुधार एवं मरम्मत में लगने वाले समय हेतु तत्काल वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था वाहन मालिक की जाना अनिवार्य होगा।

16— किराये पर लिये गये वाहन हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम प्रदाय नहीं किया जावेगा।

17— निविदाकार को वाहन का पंजीयन, रोड़ टेक्स, इंश्योरेन्स एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, टेक्सी परमिट वाहन चालक का वाहन लायसेंस इत्यादि सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का एक सेट अभिलेख हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा । उपरोक्त प्रमाण पत्रो के अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।

18— वाहन चालक की लापरवाही या किसी कारणवश कोई दुघर्टना घटित होती है, तो उसके लिये वाहन मालिक जिम्मेदार होगा, तथा सभी क्षतिपूर्ति आदि की भरपाई भी वाहन मालिक के द्वारा की जावेगी ।

19— वाहन चालक नशे की हालत में पाया जाने पर उक्त दिवस का वाहन किराया भुगतान नही किया जावेगा।

20— न्यूनतम दर वाले वाहन मालिक के द्वारा निविदा स्वीकृती के 05 दिवस मे वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

21— वाहन हेतु संधारण/सर्विसिंग /ऑयल बदलने /समस्त टूटफुट/टायर—टयूब पंचर इत्यादि व्यय तथा वाहन मरम्मत एवं रख रखाव का व्यय वाहन स्वामी को वहन करना होगा।

22— अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वाहन अनुबंध मे उल्लेखित अवधि के पूर्व भी बिना कोई कारण बताये अनुबन्ध समाप्त कर सकता है ।

23— निविदाकर्ता वाहन स्वामी को अपना वाहन किराये से छुड़ाना है तो दो माह के पूर्व नोटिस/कार्यालय को लिखित मे आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसका दो माह का भुगतान नहीं किया जावेगा।

24— निर्धारित न्यूनतम मासिक किराये राशि के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(रोमानुस टोप्पो)
अपर कलेक्टर,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

—4—

पृ0क्र:क / नाजिर / 2020 / 871 बुरहानपुर, दिनांक :- 01/02/2020

प्रतिलिपिः-

01— प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, 220 राहत भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02— आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03— समस्त कलेक्टर जिला ....की ओर प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

04— जिला परिवहन अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

05— जिला जनसम्पर्क अधिकारी बुरहानपुर की ओर निःशुल्क प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06— समस्त कार्यालय प्रमुख.. जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं पर्याप्त प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

07— संबंधित नस्ती / सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

अपर कलेक्टर,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

प्रपत्र "अ"

तकनीकी पक्ष

किराये हेतु प्रदाय किये जाने वाले वाहन का (तकनीकी पक्ष) पत्रक

1	निविदाकर्ता वाहन मालिक /प्रतिनिधि का नाम	....
2	पूर्ण पता	....
3	वाहन मालिक का नाम जिसके नाम से वाहन रजिस्टर्ड है	....
4	वाहन मालिक का पूर्ण पता	....
5	वाहन का नाम/कम्पनी	....
6	वाहन का मॉडल नम्बर	....
7	वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक	....
8	वाहन का इश्योरेन्स की अंतिम तिथि	....
9	वाहन की फिटनेस की अंतिम तिथि	....

मैंने उपरोक्त निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुबंध पत्र की सभी शर्ते क्रमांक 1 से 28 तक पढ़ ली हैं मुझे ये शर्ते मान्य है।

दिनांक–

निविदादाता हस्ताक्षर

....

नाम..

पूर्ण पता ....

मोबाईल नं. ....

प्रपत्र "ब"

(वित्तीय पक्ष)

(टैक्सी वाहन– **बोलेरो/स्कार्पियो/अर्टिगा/टाटा सफारी** (मॉडल वर्ष 2017. 2018. 2019, 2020) वाहन मय वाहन चालक के किराये पर ली जाना आदि के लिए प्रस्तावित निविदा दरें)

किराये के लिये प्रस्तावित मासिक दर	(अंको में) ....
	(शब्दों में) ....

मैंने उपरोक्त निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुबंध पत्र की सभी शर्ते क्रमांक 1 से 28 तक पढ़ ली हैं मुझे ये शर्ते मान्य है।

दिनांक :–

निविदादाता हस्ताक्षर

....

नाम..

पूर्ण पता ....

मोबाईल नं. ....